



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2013-ज्येष्ठ 10, शके 1935

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

यह कि, विवाह के पूर्व मेरा नाम उज्ज्वला पुत्री श्री अशोक राव भारमल था एवं यही नाम मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में अंकित है। चूंकि विवाह के उपरांत मेरा नाम श्रीमती अंकिता फालके पति श्री आनन्द राव फालके हो गया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे एवं मेरे सभी सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

( कु. उज्ज्वला अशोक राव भारमल )

नया नाम :

( अंकिता आनन्द राव फालके )

निवासी—फालका बाजार, लशकर,

ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ).

( 87-बी. )

#### CHANGE NAME

This is to inform all that my earlier name was SANIDHYA AGRAWAL S/o RAJESH KUMAR AGRAWAL which now has been change to SANNIDHYA AGRAWAL S/o RAJESH KUMAR AGRAWAL. So now all have to recognize me as SANNIDHYA AGRAWAL.

Old Name :

(SANIDHYA AGRAWAL )

S/O RAJESH KUMAR AGRAWAL,

630, Usha Nagar, Ext. Indore (M. P.).

(88-B.)

New Name :

(SANNIDHYA AGRAWAL)

S/O RAJESH KUMAR AGRAWAL,

630, Usha Nagar, Ext. Indore (M. P.).

#### नाम परिवर्तन

मैं, गोपाल अग्रवाल ने अपना नाम परिवर्तन कर विनंत अग्रवाल कर लिया है। अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

( गोपाल अग्रवाल )

नया नाम :

( विनंत अग्रवाल )

मकान क्र. 4, बृजधाम कॉलोनी,

( आनंद बगीची ) अग्रवाल नगर, इन्दौर ( म. प्र. ).

(98-बी.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व में मेरा नाम सोभ्या बाई पिता लक्ष्मणदास था जो अब परिवर्तित होकर ममता तेजवानी पति अनिल तेजवानी हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम ममता तेजवानी पति अनिल तेजवानी के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( सोभ्या बाई पिता लक्ष्मणदास )

(99-बी.)

नया नाम :

( ममता तेजवानी पति अनिल तेजवानी )

40-41-401, सिल्वर पैलेस कॉलोनी,

इन्दौर (म. प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम प्रीतम माहेश्वरी था जो कि अब बदलकर मनोहर लाल माहेश्वरी कर लिया है. अतः अब मुझे मेरे नये नाम मनोहर लाल माहेश्वरी से लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम :

( प्रीतम माहेश्वरी )

(100-बी.)

नया नाम :

( मनोहर लाल माहेश्वरी )

30 संयोगितागंज, इन्दौर (म. प्र.).

**CHANGE OF NAME**

I WAS KNOWN AS RITESH KANOJIYA, I HAVE CHANGED MY NAME AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS RITESH KUMAR S/O RAJENDRA PRASAD , RESIDENT OF 1056/12 , MODEL TOWN, BILHARI JABALPUR (M.P.).

Old Name :

(RITESH KANOJIYA )

(101-B.)

New Name :

(RITESH KUMAR)

**CHANGE OF NAME**

I WAS KNOWN AS KHALID NAFIS, I HAVE CHANGED MY NAME AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS KHALID NAFEES S/O NAFIS AHMAD SIDDIQUI, RESIDENT OF 98, MAHAKQSHAL NAGAR ADHARTAL, JABALPUR (M.P.).

Old Name :

(KHALID NAFIS )

(102-B.)

New Name :

(KHALID NAFEES)

**CHANGE OF NAME**

I WAS KNOWN AS JAGDISH PRASAD , I HAVE CHANGED MY NAME AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS JAGDISH PRASAD SHIVHARE S/O CHEDI LAL SHIVHARE , RESIDENT OF P.O. DHUMA, DISTRICT SEONI (M.P.).

Old Name :

(JAGDISH PRASAD )

(103-B.)

New Name :

(JAGDISH PRASAD SHIVHARE)

**CHANGE OF NAME**

I WAS KNOWN AS PRASHANT LAL, I HAVE CHANGED MY NAME AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS PRASHANTT KUMAR LAL S/O SHAMBHU LAL, RESIDENT OF 173, A.P.R. COLONY, KATANGA, JABALPUR (M.P.).

Old Name :

New Name :

**(PRASHANT LAL )****(PRASHANTT KUMAR LAL)**

(104-B.)

**CHANGE OF NAME**

I WAS KNOWN AS PRASANNA SHIVHARE , I HAVE CHANGED MY NAME AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS PRASANN SHIVHARE S/O JAGDISH PRASAD SHIVHARE , RESIDENT OF P.O. DHUMA, DISTRICT SEONI (M.P.).

Old Name :

New Name :

**( PRASANNA SHIVHARE )****( PRASANN SHIVHARE)**

(105-B.)

**CHANGE OF NAME**

I WAS KNOWN AS VIVEK NAGPAL, I HAVE CHANGED MY NAME AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS VIVEK KUMAR NAGPAL S/O VIJAY KUMAR NAGPAL, RESIDENT OF 158/B , ADARSH NAGAR, NARMADA ROAD , JABALPUR (M.P.).

Old Name :

New Name :

**(VIVEK NAGPAL )****(VIVEK KUMAR NAGPAL)**

(106-B.)

**CHANGE OF NAME**

I WAS KNOWN AS SIDDHARTH RAJ , I HAVE CHANGED MY NAME AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS SARFARAAZ KHAN S/O LALIT KUMAR RAJ, RESIDENT OF 2398/3, BEDI NAGAR , JABALPUR (M.P.).

Old Name :

New Name :

**(SIDDHARTH RAJ )****(SARFARAAZ KHAN)**

(107-B.)

**JAHIR SUCHNA**

According to Provisions of partnership Act 1932 we are intimate to general public that our client M/s Mahesh Chand Rajendra Kumar. Address 249-250, Musakhedi, Indore whose registration no. Is 2869 of 1976-77 had entered 3 new partner in the firm with effect from 16.03.2013 named, 1. Smt.Gomti Gupta W/o Shri Anil Gupta R/o 50, Sajan Nagar, Indore, 2. Smt.Rekha Gupta W/o Shri Sunil Gupta R/o 50, Sajan Nagar, Indore, 3. Smt.Alka Gupta W/o Shri Pravin Gupta R/o 50, Sajan Nagar, Indore and retire 2 partners with effect from 01.04.2013 named 1. Shri Rajendra Kumar Gupta S/o Shri kanhayalal Gupta R/o 159, Sajan Nagar, Indore 2. Smt. Pramila Gupta W/o Shri Prahlassdas Gupta R/o 31, Sanyogitaganj, Indore.

Indore 20.04.2013

From

Agrawal Jhavar Associates  
Chartered Accountants**Dharmendra Agerawal**  
Prop.

(89-B.)

---

 JAHIR SUCHNA

According to Provisions of partnership Act 1932 we are intimate to general public that our client M/s Rahul Industries. Address 249-250, Musakhedi, Indore whose registration no. Is 1647 of 1985-86 had retire 2 partners in the firm with effect from 01.04.2013 named, 1. Shri Subhash Chand Gupta S/o late Shri Hukum Chand Gupta R/o 75, Sneh Nagar, Indore, 2. Shri Dinesh Chand Gupta S/o late Shri Hukum Chand Gupta R/o 75, Sneh Nagar, Indore.

Indore 20.04.2013

From

Agrawal Jhavar Associates  
Chartered Accountants.

**Dharmendra Agerawal**  
Prop.

(90-B.)

---

 JAHIR SUCHNA

According to Provisions of partnership Act 1932 we are intimate to general public that our client M/s Vijay Pulses. Address 249-250, Sajana Nagar, Indore whose registration no. Is 1745 of 1972-73 had retire 2 Partners in the firm with effect from 01.04.2013 named Shri Ramnarayan Gupta S/o late Shri Gopilalji Gupta R/o 50, Sajana Nagar, Indore and Shri Anil Gupta S/o Shri Ramnarayan Gupta R/o 50, Sajana Nagar, Indore.

Indore 20.04.2013

From

Agrawal Jhavar Associates  
Chartered Accountants

**Dharmendra Agerawal**  
Prop.

(91-B.)

---

 JAHIR SUCHNA

According to Provisions of partnership Act 1932 we are intimate to general public that our client M/s Agrawal Trading Co. Address 38, Sanyogitaganj, Indore whose registration no. Is 786 of 1967-68 had retire 2 partners in the firm with effect from 01.04.2013 named Shri Ramnarayan Gupta S/o late Shri Gopilalji Gupta R/o 50, Sajana Nagar, Indore and Shri Navin Gupta S/o Shri Ramnarayan Gupta R/o 50, Sajana Nagar, Indore.

Indore 20.04.2013

From

Agrawal Jhavar Associates  
Chartered Accountants

**Dharmendra Agerawal**  
Prop.

(92-B.)

---

 JAHIR SUCHNA

According to Provisions of partnership Act 1932 we are intimate to general public that our client M/s Vijay Dall Mill. Address 249-250, Sajana Nagar, Indore whose registration no. Is 278 of 1969-70 had entered 3 new partners in the firm with effect from 16.03.2013 named Smt. Kusum Gupta W/o Shri Mahesh Chand Gupta Resident of 75, Sneh Nagar, Indore, Smt. Rajkumari Gupta W/o Shri Subhash Chand Gupta Resident of 75, Sneh Nagar, Indore and Smt. Pushpa Gupta W/o Shri Dinesh Chand Gupta Resident of 75, Sneh Nagar, Indore.

Indore 28.03.2013

From

Agrawal Jhavar Associates  
Chartered Accountants

**Dharmendra Agerawal**  
Prop.

(93-B.)

**JAHIR SUCHNA**

According to Provisions of partnership Act 1932 we are intimate to general public that our client M/s Rahul Industries. Address 249-250, Musakhedi, Indore whose registration no. Is 1647 of 1985-86 had entered 2 new partners in the firm with effect from 16.03.2013 named Shri Sunil Gupta S/o Shri Ramnarayan Gupta Resident of 50, Sajan Nagar, Indore and Shri Pravin Gupta S/o Shri Ramnarayan Gupta Resident of 50, Sajan Nagar, Indore and.

Indore 28.03.2013

From

Agrawal Jhavar Associates  
Chartered Accountants.

(94-B.)

**Dharmendra Agerawal**  
Prop.

**JAHIR SUCHNA**

According to Provisions of partnership Act 1932 we are intimate to general public that our client M/s Sharad Industries. Address 249-250, Musakhedi, Indore whose registration no. Is 1645 of 1985-86 had retire 4 partner in the firm with effect from 01.04.2013 named 1. Shri kanhayalal Gupta S/o Late Shri Gopilalji Gupta R/o 159, Sajan Nagar, Indore, 2. Shri Rajendra Kumar Gupta S/o Shri kanhayalal Gupta R/o 159, Sajan Nagar, Indore, 3. Smt. Kusum Gupta W/o Shri Mahesh Chand Gupta R/o 75, Sneh Nagar, Indore, 4. Smt. Rajkumari Gupta W/o Shri Subhashh Chand Gupta R/o 75, Sneh Nagar, Indore.

Indore 20.04.2013

From

Agrawal Jhavar Associates  
Chartered Accountants.

(95-B.)

**Dharmendra Agerawal**  
Prop.

**JAHIR SUCHNA**

According to Provisions of partnership Act 1932 we are intimate to general public that our client M/s Sudershan Pulses. Address 249-250, Musakhedi, Indore whose registration no. Is 1648 of 1985-86 had retire 2 partners in the firm with effect from 01.04.2013 named 1. Shri Pravin Gupta S/o Shri Ramnarayan Gupta R/o 50, Sajan Nagar, Indore, 2. Smt. Pushpa Gupta W/o Shri Dinesh Chand Gupta R/o 75, Sneh Nagar, Indore.

Indore 20.04.2013

From

Agrawal Jhavar Associates  
Chartered Accountants.

(96-B.)

**Dharmendra Agerawal**  
Prop.

**JAHIR SUCHNA**

According to Provisions of partnership Act 1932 we are intimate to general public that our client M/s Natraj Dall Mill. Address 159, Sajan Nagar, Indore whose registration no. Is 634 of 1973-74 had entered 2 new partners in the firm with effect from 16.03.2013 named Shri Anirudha Gupta S/o Shri Rajendra Gupta Resident of 159, Sajan Nagar Indore and Smt. Anju Gupta W/o Shri Rajendra Gupta Resident of 159, Sajan Nagar Indore and.

Indore 28.03.2013

From

Agrawal Jhavar Associates  
Chartered Accountants.

(97-B.)

**Dharmendra Agerawal**  
Prop.

### नाम परिवर्तन

मेरा नाम विवाह पूर्व खुशाली खांडेकर था. विवाह होने के बाद मेरा नाम विजया पुरोहित पत्नि स्व. श्री विजय पुरोहित हो गया. भविष्य में मुझे इसी नाम से पहिचाना जावे.

पुराना नाम :

( खुशाली खांडेकर )

(110-बी.)

नया नाम :

( विजया पुरोहित )

पत्नि स्व. श्री विजय पुरोहित,  
पता—निम्बालकर की गोठ नं. 2,  
लशकर, ग्वालियर.

### नाम परिवर्तन

मैं, प्रभव सिंह पिता श्री कृष्ण गोपाल सिंह, निवासी—101-ए, कस्तूरबा नगर, भोपाल का नगर निगम इंदौर द्वारा जारी जन्म प्रमाण में नाम 'प्रक्षय' दर्ज है, स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्रों में एवं अन्य सभी जगह मेरा नाम 'प्रभव सिंह' दर्ज है, यही सही है. मुझे समस्त कार्यों के लिये 'प्रभव सिंह' के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

( प्रक्षय )

( 111-बी.)

नया नाम :

( प्रभव सिंह )

पता—101-ए, कस्तूरबा नगर,  
भोपाल (म. प्र.).

### CHANGE OF NAME

I, Ankit Nigam S/o Shri Piyush Kumar Nigam, Aged 21 years R/o H. No. 44, Shyamla Hills, Bhopal working as student hereby declare that I have changed my name as SHAAN RANDALL for all legal, documentation and general purpose,

Old Name :

(Ankit Nigam)

(112-B.)

New Name :

(Shaan Randall)

44, Shyamla Hills, Bhopal (M.P.).

### आम सूचना

मेसर्स नाइस इण्डस्ट्रीज, पता—802, मिलेनियम प्लाजा, गोविन्दपुरी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश जिसमें प्रारंभ से दो पार्टनर श्री विभोर माहेश्वरी एवं श्रीमती सीमा अग्रवाल थे. अब उसमें एक नये पार्टनर श्री आशीष अग्रवाल को दिनांक 18 जुलाई, 2012 को सम्मिलित किया गया है.

**Ashish Agrawal,**

Partner,

For NICE INDUSTRIES.

(108-B.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स श्री राम एन्टरप्राइसेस, बानमोर, जिसका प्रधान कार्यालय सेक्टर-बी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बानमोर, जिला मुरैना पर है जिसका मूल भागीदारी विलेख दिनांक 11-05-1985 एवं 17-07-2002 को लिपिवध किया गया था के गठन में दिनांक 23-5-2013 को निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है:—

1. भागीदार श्री अरूण कुमार शर्मा, श्री पवन कुमार शर्मा, श्री कृष्णा मुरारी शर्मा एवं राज कुमार शर्मा के स्थान पर एक नया भागीदार श्री आकाश शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा, निवासी C/o श्रीमती पुष्पलता शर्मा, एफ-41, ठाटीपुर शासकीय कन्या महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर नया भागीदार होगा. श्री अशोक कुमार शर्मा जो कि भागीदार हैं यथावत् रहेंगे.

2. श्री अशोक कुमार शर्मा—75 प्रतिशत एवं श्री आकाश शर्मा—25 प्रतिशत के भागीदार होंगे।

यदि आपत्ति हो तो मेरे कार्यालय में मय साक्ष्य 3 दिवस में उपस्थित होंगे। बाद आपत्ति स्वीकृत न होकर नवीन भागीदारी पुनर्गठन सह संशोधन पत्र पंजीकृत कराया जाएगा।

इति दिनांक 27-05-2013

**Akash Sharma,**  
Partner,  
For Shri Ram Enterprises

**Ashok Kumar Sharma,**  
Partner,  
For Shri Ram Enterprises

(109-B.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी साझेदारी फर्म "मेसर्स अमर कन्स्ट्रक्शन", 37, आनंदा कॉलोनी, रिंग रोड, इन्दौर (मध्यप्रदेश) के पते पर श्री प्रेम गोयल पिता श्री भोलारामजी गोयल एवं श्री पवन कुमार अग्रवाल पिता श्री आशारामजी अग्रवाल की साझेदारी में संचालित की जा रही थी। उक्त फर्म में दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 से दो नए साझेदारों को शामिल किया गया है, जिनके नाम श्रीमती शारदा पति श्री ओमप्रकाशजी अग्रवाल एवं श्रीमती राधिका पति श्री पवनजी अग्रवाल हैं। इन नए साझेदारों को शामिल करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो, तो इसकी सूचना, प्रकाशन दिनांक से 15 दिनों के अन्दर देवें।

**पवन कुमार अग्रवाल,**  
(साझेदार)

मेसर्स अमर कन्स्ट्रक्शन,

(113-बी.)

37, आनंदा कॉलोनी, रिंग रोड, इन्दौर (म. प्र.).

### जाहिर सूचना

मेसर्स कृष्णा कंसल्टेंट, मरिया माता स्कूल के पास, चौबे कॉलोनी, छतरपुर (मध्यप्रदेश) रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसायटीज सागर संभाग, सागर में क्र. SF/174, दिनांक 12 सितम्बर, 2002 को पंजीकृत की गई है। पंजीयन के समय मेसर्स कृष्णा कंसल्टेंट की पार्टनरशीट डीड में चार भागीदार क्रमानुसार थे—श्री भगवानदास गंगेले, श्री श्याम मोहन तिवारी, श्रीमति प्रभा गंगेले एवं श्री अवधेश प्रताप सिंह तोमर। इसके पश्चात् फर्म की भागीदारी में निम्नानुसार परिवर्तन होता रहा। दिनांक 24 दिसम्बर, 2002 को श्री भगवान दास गंगेले को अलग कर श्रीमति किशोरी देवी गंगेले को सम्मिलित किया गया एवं उपरोक्त भागीदार श्याम मोहन तिवारी, प्रभा गंगेले एवं अवधेश प्रताप सिंह तोमर यथावत् रहे। दिनांक 01 अप्रैल, 2003 को फर्म में से श्री अवधेश प्रताप सिंह तोमर को अलग कर श्री योगेश तिवारी को शामिल किया गया एवं श्री श्याम मोहन तिवारी, श्रीमति प्रभा गंगेले एवं श्रीमति किशोरी देवी गंगेले फर्म में यथावत् रहे। दिनांक 21 फरवरी, 2012 को श्री श्याम मोहन तिवारी एवं श्रीमति किशोरी देवी गंगेले को अलग कर श्री राजेश कुमार गंगेले एवं श्री प्रियेश गंगेले को शामिल किया गया एवं श्रीमति प्रभा गंगेले एवं श्री योगेश तिवारी यथावत् शामिल रहे। इसके पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल, 2012 को श्रीमति प्रभा गंगेले एवं श्री योगेश तिवारी को फर्म की भागीदारी से पृथक् कर श्री राजेश कुमार गंगेले एवं श्री प्रियेश गंगेले को फर्म में भागीदार यथावत् रखा। वर्तमान में श्री राजेश कुमार गंगेले एवं श्री प्रियेश गंगेले मेसर्स कृष्णा कंसल्टेंट के भागीदार हैं। यदि उपरोक्त संदर्भ में किसी को कोई आपत्ति हो तो निम्न पते पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

**दीपक नायक,**

एडवोकेट

लाहोटी चेम्बर ऑफिस नं.-2,

प्लाट नं.-231, त्रिमूर्ति कॉम्प्लेक्स,

प्रथम तल, जौन-1, एम. पी. नगर, भोपाल.

(114-बी.)

## विविध

### आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

#### कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, धार, जिला धार

धार, दिनांक 02 मई, 2013

क्र. /स्वा./2013/4030.— धार राजस्व जिले में संक्रामक रोग, हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर के फैलाव की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है कि इस संदर्भित बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त किये जावें.

2. अतः मैं, सी.बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला धार मध्यप्रदेश आपत्तिक हैजा विनियम, 1983 के नियम 3 एवं नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला राजस्व धार अगले छः माह के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ.

3. अधिसूचित क्षेत्र सार्वजनिक स्थानों पर, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों के लिये खाद्य एवं पेयजल सामग्री निर्माण करने या उसे निर्माण कर प्रदाय करने के लिये कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निर्मलन वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :—

- (1) बासी मिठाईयां, सड़े-गले फल, सब्जियां, मछली, अण्डे, दूषित खाद्य पदार्थों के बेचने पर प्रतिबंध लगाया जावे.
- (2) कुल्फी, आईस्क्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पेय पदार्थ खुले बाजार में ढक्कर व जालीदार स्थानों पर रखे जावें, महामारी फैलने पर इसकी बिक्री पर पाबन्दी लगाई जावे.
- (3) नालियां, गटरें, पानी के गड्ढे, मलकुण्ड, कूड़ा-करकट आदि गंदगी को स्वच्छ रखा जावे तथा रोगाणुनाशक पदार्थ से सफाई नियमित की जावे.
- (4) मक्खियां, मच्छर पैदा करने वाले स्थान को स्वच्छ रखा जावे तथा खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाया जा सके.
- (5) नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय टंकी की समय-समय पर सफाई तथा उचित मात्रा में क्लोरीन जल शुद्धिकरण के लिये काम में लाये जावे.
- (6) ग्रामीण क्षेत्रों में नाले, तालाब, अस्वच्छ, कुँओं-बावडियों का पानी पीने के काम में नहीं लाया जावे, हैंडपम्प का पानी ही पीने के उपयोग में लाया जावे. ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पावडर डालकर जल का उपयोग करें.

4. उक्त आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र में या उसके बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण दो (एक) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा और न ले जावेगा का आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना के लिये किसी भी बाजार, भवन, दुकान अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान में प्रत्येक के प्रवेश करने, निरीक्षण करते समय उसमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करें तथा खाने पीने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिशाप है, जो दूषित या अनुपयुक्त है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-90 एवं 63 में उल्लेखित की हुई पायी गई, अस्वास्थ्यकर दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने व नष्ट करने या उसका ऐसी रीति के निर्वाह करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके, अधिसूचित क्षेत्रों में अपेक्षित कार्यवाहियों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ:—

- (1) अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला धार.
- (2) समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला धार.
- (3) समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालन दण्डाधिकारी, जिला धार.
- (4) ऐसे चिकित्सक पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सक के पद से नीचे के न हो.
- (5) आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो.
- (6) नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक एवं समस्त.
- (7) मुख्य नगरपालिका अधिकारी (समस्त).

5. सभी मुख्य नालियों, घरों के गड्ढों, पोखरों, मलसंडासों, संक्रात वस्तुओं, बिस्तरों कूड़ा-करकट अथवा किसी प्रकार की गन्दगी को हटाते वक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु में उनका निर्वर्तन अथवा उसके सम्बन्ध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने से सम्बन्धित आदेश दे सकेंगे. स्थानीय निकायों में कार्यपालन अधिकारी इस आदेश तथा विदित प्राधिकारियों द्वारा किये गये आदेशों का पालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे.

उक्त आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा तथा आगामी छः माह की अवधि तक या अन्य आदेश तक, जो भी हो प्रभावशील रहेंगे.

**सी. बी. सिंह,**  
कलेक्टर.



## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभाग शाजापुर

प्र. क्र. 1/बी-113/2012-13.

(शीर्षक श्री दरिया समाज महासभा देवलाबिहार, जिला शाजापुर)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास के समक्ष.

चूँकि श्री रामसिंह पिता श्री गोपालसिंह, निवासी ग्राम देवलाबिहार, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, अध्यक्ष, श्री दरिया समाज महासभा देवलाबिहार, जिला शाजापुर द्वारा श्री दरिया समाज महासभा ट्रस्ट, निवासी देवलाबिहार, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत जो कि एक धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा, के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी चल-अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शायी गई है. सर्व-सम्बन्धित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है.

जो भी व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो, उसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना प्रकाशन से तीस दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें. उक्त नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट "अ"

न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण . . . नगदी राशि रुपये 1,000/- एक हजार रुपये मात्र.

#### परिशिष्ट "ब"

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण . . . निरंक.

(274)

शैली कनाश,  
अनुविभागीय अधिकारी.

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जौरा, जिला मुँरैना

#### प्रारूप-4

प्र.क्र./2012-13/बी-113 (1).

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री सुगनचन्द जैन, अध्यक्ष व अन्य न्यासधारी ग्राम सुमावली, तहसील जौरा, जिला मुँरैना द्वारा मन्दिर श्री दिगम्बर जैन बरैया पंचान सुमावली परमार्थ लोक न्यास ग्राम सुमावली, तहसील जौरा, जिला मुँरैना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का क्र. 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति को पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 22 जून, 2013 को विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

#### अनुसूची

मन्दिर श्री दिगम्बर जैन बरैया पंचान सुमावली परमार्थ लोक न्यास ग्राम सुमावली, तहसील जौरा, जिला मुँरैना मध्यप्रदेश प्रारम्भिक निधि के रूप में चल सम्पत्ति रुपये 11,000/- (ग्यारह हजार रुपये) बताई गई है तथा अचल सम्पत्ति की जानकारी भी प्रदर्शित की गई है.

अतः यह सूचना-पत्र जारी किया जाता है.

प्रभात रंजन उपाध्याय,  
अनुविभागीय अधिकारी.

(275)

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जबलपुर**

जारी, दिनांक 25 मार्च, 2013

राजस्व प्रकरण क्र. 9/बी-113/1/11-12.

**प्रारूप-4**

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

चूंकि श्री कमल ग्रोवर मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा "सत्य प्रकाश फाउंडेशन" जबलपुर के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 अप्रैल, 2013 को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास की संपत्ति का विवरण, लोक न्यास का नाम और पता )

1. लोक न्यास का नाम व पता : "सत्य प्रकाश फाउंडेशन"  
परिश्रम मदन महल, नागपुर रोड, जबलपुर.
2. चल सम्पत्ति : 10,000.00 नगद (अंकन दस हजार रुपये मात्र).
3. अचल सम्पत्ति : कुछ नहीं.

(276)

जारी, दिनांक 14 मई, 2013

राजस्व प्र. क्र. 2/बी-113/1/12-13.

**प्रारूप-4**

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

चूंकि श्री सोहम दास पिता स्व. संत श्री गरीब दास, निवासी कबीर आश्रम, बाबाघाट ग्राम पंचायत कबीरमय खुरखुरीदादर, तहसील व जिला डिण्डोरी मध्यप्रदेश के द्वारा "कबीर सत्यानुसंधान न्यास केन्द्र कबीर आश्रम बाबाघाट, कपिल धारा रोड, अमरकंटक जिला डिण्डोरी" के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 18 जून, 2013 को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास की संपत्ति का विवरण, लोक न्यास का नाम और पता )

1. लोक न्यास का नाम व पता : "कबीर सत्यानुसंधान न्यास केन्द्र कबीर आश्रम बाबाघाट, कपिल धारा रोड, अमरकंटक, जिला डिण्डोरी".
2. चल सम्पत्ति : कुछ नहीं.
3. अचल सम्पत्ति : ग्राम पंचायत कबीरमय खुरखुरीदादर, तहसील व जिला डिण्डोरी के प्लॉट रकबा 0.403 है. वन अधिकार के अंतर्गत शासन द्वारा दिया गया पट्टा.

**संजय जैन,**

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(277)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं पंजीयक लोक न्यास, खरगोन

प्र.क्र.03/बी-113(1)/12-13.

#### फॉर्म-चार

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( क्रमांक 30-1951 ) की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत ]

समक्ष-पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन.

चूंकि प्रार्थी अध्यक्ष " देवी अहिल्या पैलेस आश्रय ट्रस्ट " खरगोन द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( क्रमांक 30-1951 ) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### अनुसूची

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	35,700
01.	नगद			रु. 47,250
02.	अचल सम्पत्ति	-	-	-

(278)

जितेन्द्रसिंह चौहान,  
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं पंजीयक.

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, परगना गुना

दिनांक 06 मई, 2013

प्र.क्र. 2/बी-113/2012-2013/516.

#### प्रारूप क्र.-4

[ देखिये नियम-7 (1) ]

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा ]

न्यायालय लोक न्यासों का पंजीयक, परगना-गुना, जिला गुना के समक्ष.

यतः कि न्यासधारी श्री परमाल सिंह जी रघुवंशी आत्मज श्री समरथ सिंह रघुवंशी, निवासी बांसखेडी, गुना, जिला गुना, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथित आवेदन दिनांक 5 जनवरी, 2013 के सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के माध्यम से जारी दिनांक 03 मई, 2013 से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख दिनांक 04 जून, 2013 पर या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

#### अनुसूची

( लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण )

- चल सम्पत्ति : न्यास के पास वर्तमान में वाचनालय तथा फर्नीचर एवं सामान जिसकी कीमत करीबन 45 हजार रुपये होगी.
- अचल सम्पत्ति : न्यास के पास शहर गुना में प्रताप छात्रावास के पास केशव स्मृति भवन है, भवन जिसका क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट है.

यह ट्रस्ट हिन्दू समाज में संस्कृति एवं शिक्षा स्तर की पुनर्स्थापना एवं शिक्षा के माध्यम से विकास के लिये भारतीय संस्कृति परम्परा के अनुरूप कार्य कर शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक शिक्षा देने हेतु विद्यालय छात्रावास, आवासीय विद्यालय, विज्ञान टैक्नालॉजी एवं चिकित्सा आदि क्षेत्रों के अनेक विकल्पों के माध्यम से हिन्दू समाज के सभी वर्गों के उत्थान हेतु न्यास द्वारा कार्य प्रगति की ओर अग्रसर होने हेतु प्रयास करना.

लोक न्यास का नाम और पता : स्व. नाथूलाल मंत्री जनकल्याण न्यास, गुना केशव स्मृति भवन, प्रताप छात्रावास, गुना तहसील व जिला गुना.

टी. एन. सिंह,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(279)

### न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 20 मई, 2013

प्र. क्र. 03/2012-13/बी-133 (1).

#### प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की धारा-30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

नरेन्द्रपाल सिंह भदौरिया पुत्र श्री बनवारी सिंह भदौरिया, निवासी—जी. डी. ए. कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-1, विनय नगर, शहर व जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21 जून, 2013 को विचार के लिये दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय, ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 21 जून, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने पर विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

#### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

- |                            |    |  |
|----------------------------|----|--|
| 1. लोक न्यास का नाम और पता | .. | कर्तव्य न्यास, भदावर भवन, 83, विनयनगर सेक्टर-1, शहर व जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश. |
| 2. चल सम्पत्ति             | .. | 25,000/- रुपये.  |
| 3. अचल सम्पत्ति            | .. | निरंक.   |

अनुज रोहतगी,

पंजीयक.

(285)

### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“हजरत सय्यद साहेब सुल्तान साहेबजी (दरबारे अली, दरबार शरीफ) ट्रस्ट” कार्यालय 41/2, मोती तबेला, इन्दौर की ओर से आवेदक श्री शब्बीर पिता एहमद हुसैन, निवासी 41/2, मोती तबेला, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“हजरत सय्यद साहेब सुल्तान साहेबजी (दरबारे अली, दरबार शरीफ) ट्रस्ट”.
पता	:	41/2, मोती तबेला, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दो हजार मात्र).

आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(286)

#### (फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“ऑल इण्डिया यूनाईटेड प्रेयर टॉवर चेरिटेबल ट्रस्ट” कार्यालय 8, साईंधाम कॉलोनी, गिरधर नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से रेव्ह रॉबर्टसन केलकर पिता सालोमन केलकर, निवासी 7, साईंधाम कॉलोनी, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“ऑल इण्डिया यूनाईटेड प्रेयर टॉवर चेरिटेबल ट्रस्ट”.
पता	:	8, साईंधाम कॉलोनी, गिरधर नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 1,100/- (अक्षरी रुपये एक हजार एक सौ मात्र).

आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शरद श्रोत्रिय,  
रजिस्ट्रार.

(286-A)

### अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 22 मई, 2013

वर्तमान भूमि उपयोग नक्शे के अंतिम प्रकाशन की सूचना

क्र.1502/स्टू.प्लान/नग्रानि/2013.—अम्बाह निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 26 अप्रैल, 2013 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए गए समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति/सुझाव उपान्तरण प्रस्तावित किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

अतः उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 07 जून, 2013 से 14 जून, 2013 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालय में उपलब्ध रहेगी.

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर.
2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भिण्ड.
3. नगर पालिका, अम्बाह, जिला मुरैना.

बी. के. शर्मा,  
संयुक्त संचालक,  
वास्ते-सहायक संचालक.

(273)

### कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./12/288 बालाघाट, दिनांक 07 मार्च, 2012 के द्वारा नावघाट जनकल्याण प्रा. मछुवा सहकारी समिति लावनी, पंजीयन क्रमांक 592, दिनांक 06 जून, 1997 विकासखण्ड खैरलांजी व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरलांजी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में नावघाट जनकल्याण प्रा. मछुवा सहकारी समिति लावनी पंजीयन क्रमांक 592, दिनांक 06 जून, 1997, विकासखण्ड खैरलांजी व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि नावघाट जनकल्याण प्रा. मछुवा सहकारी समिति लावनी, पंजीयन क्रमांक 592, दिनांक 06 जून, 1997 विकासखण्ड खैरलांजी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये नावघाट जनकल्याण प्रा. मछुवा सहकारी समिति लावनी, पंजीयन क्रमांक 592, दिनांक 06 जून, 1997 विकासखण्ड बालाघाट व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(280-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./95/33 बालाघाट, दिनांक 24 जनवरी, 1995, के द्वारा श्रीराम चर्मकार सहकारी समिति मर्या., खैरलांजी, पंजीयन क्रमांक 145, दिनांक 23 मार्च, 1968, विकासखण्ड खैरलांजी व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरलांजी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों का

निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में श्रीराम चर्मकार सहकारी समिति मर्या., खैरलाँजी, पंजीयन क्रमांक 145, दिनांक 23 मार्च, 1968, विकासखण्ड खैरलाँजी व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि श्रीराम चर्मकार सहकारी समिति मर्या., खैरलाँजी, पंजीयन क्रमांक 145, दिनांक 23 मार्च, 1968 विकासखण्ड खैरलाँजी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीराम चर्मकार सहकारी समिति मर्या., खैरलाँजी, पंजीयन क्रमांक 145, दिनांक 23 मार्च, 1968, विकासखण्ड बालाघाट व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

एम. पी. चक्रवर्ती,  
उप-रजिस्ट्रार.

(280-B)

### कार्यालय परिसमापक सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 मार्च, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 "सी" के अन्तर्गत)

उप-आयुक्त, सहकारिता छिन्दवाड़ा के संशोधित आदेश क्र./उपछि/परि./2012/1676, छिन्दवाड़ा, दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:—

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	परिसमापन का आदेश क्रमांक / दिनांक
1	2	3
1.	जय दुर्गा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा पंजीयन क्रमांक 795/12-9-1963.	1676/08-11-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हों तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्था में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी /उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 25 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(281)

डी. सी. सनोडिया,  
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

### कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपछि/परिसमापन/2013/628.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पीपरढाना.	434/22-03-1994	1695/31-12-2011	श्री ए. के. शर्मा, सह. वि. अधि., चौरई.
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़ेला.	284/24-05-1991	880/26-07-2005	श्री आर. एन. डेहरिया, सह.वि.अधि., अमरवाड़ा.
3.	दुर्गा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा.	13/12-09-1962	295/27-03-1988	श्री डी. सी. सनोडिया, उप-अंकेक्षक.

चूंकि, कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 27 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(282)

### कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अप्रैल, 2013

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./उप.आ./परि/2013-14/634.—कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक/सपछि/अंके/13/119, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 के द्वारा निम्नांकित सहकारी समितियों (जिन्हें आगे संस्था कहा गया है) के संबंध में अवगत कराया गया है कि निम्न संस्थाओं के अंकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत संस्थाओं की अंकेक्षण टीप अनुसार निम्न संस्थाओं को विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील दर्शाया जाने से संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है. विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विशेष
1	2	3	4
1.	साँई परिवहन सहकारी समिति मर्यादित, छिन्दवाड़ा	549/09-04-1996	दो वर्ष से अकार्यशील
2.	महिला बंसकार उधोग सहकारी समिति मर्यादित, छिन्दवाड़ा	425/21-03-1983	दो वर्ष से अकार्यशील



1	2	3	4
3.	पंकज बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, सौंसर	391/17-01-1981	दो वर्ष से अकार्यशील
4.	श्री साईनाथ गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, खापाभाट	108/10-03-1986	दो वर्ष से अकार्यशील.
5.	श्री गणेश बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, मोहगॉव हवेली	379/12-10-1979	दो वर्ष से अकार्यशील
6.	वसुंधरा महिला रेडिमेड वस्त्र उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, सौंसर.	BPL-435/28-08-1993	दो वर्ष से अकार्यशील
7.	दि किसान लहसुन साग-सब्जी, बीज, पौध उत्पादक सहकारी समिति जाम.	576/06-06-1998	दो वर्ष से अकार्यशील
8.	श्रीमति चंद्रकलादेवी सब्जी एवं फल उत्पादन प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, रोहनाकला.	681/25-07-2006	दो वर्ष से अकार्यशील
9.	राजीव गांधी एग्रो फूड्स उत्पादन प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, छिन्दवाड़ा.	682/25-07-2006	दो वर्ष से अकार्यशील
10.	इंदिरा गांधी मक्का उत्पादन प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, मोहखेड़.	683/25-07-2006	दो वर्ष से अकार्यशील
11.	विजय बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, सौंसर	65/07-03-1984	दो वर्ष से अकार्यशील
12.	राजस्व गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, चंदनगॉव	408/16-12-1992	दो वर्ष से अकार्यशील
13.	बहुउद्देशीय महिला सहकारी समिति मर्यादित, रामगढ़ी	570/29-01-1998	दो वर्ष से अकार्यशील
14.	कीर्ति बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, लोधीखेड़ा	382/12-10-1979	दो वर्ष से अकार्यशील
15.	दादाजी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, छिन्दवाड़ा	606/01-06-2000	दो वर्ष से अकार्यशील

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप आयुक्त सहकारिता, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करती हूँ कि उपरोक्तानुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, अतः क्यों न संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने के आदेश जारी कर दिये जावें. यदि संस्थाएं इस संबंध में अपना पक्ष समर्थन चाहती हैं तो वह इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त के 15 दिवस के भीतर युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. यदि संस्था ने निर्धारित समयवाधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तदनुसार मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(283)

### कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपछि/परिसमापन/2013/504. — निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	गांधी स्मृति चूनाबागरा टाईल्स औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., जुन्नारदेव.	39/24-01-1981	383/17-04-2009	अलका मानिकदिवे, सविअ.

1	2	3	4	5
2.	तामिया तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., तामिया.	75/05-06-1961	2582/17-09-1985	श्री राजेन्द्र कामले, सविअ.
3.	इण्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड छिन्दवाड़ा.	830/10-04-1958	1122/21-09-2005	श्री पी. के. नासेरी, सह. निरी.
4.	सिलाई उद्योग सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा.	138/24-04-1963	1122/21-09-2005	श्री पी. के. नासेरी, सह. निरी.
5.	जनजाति वनश्रमिक सहकारी समिति मर्या., भिमालगोंदी.	311/28-03-1966	383/17-04-2009	मो. आरिफ कुरैशी, सविअ.
6.	जनजाति वनश्रमिक सहकारी समिति मर्या., खमारपानी.	312/28-03-1966	383/17-04-2009	मो. आरिफ कुरैशी, सविअ.
7.	कमल लघु कृषक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जमुनिया.	406/19-03-1981	2316/31-07-1989	श्री पी. एस. परते, वसनि.
8.	कालरी कर्मचारी उप. सहकारी भंडार, न्यूटन चिखली.	148/22-08-1963	174/11-02-2005	श्री आर. एस. दुबे, वसनि.

चूंकि, कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

जी. एस. डेहरिया,  
उप-रजिस्ट्रार.

(284)

### कार्यालय परिसमापक, अर्निया ठिकाना सहकारी संस्था मर्या., अर्निया ठिकाना

दिनांक 04 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

अर्निया ठिकाना सहकारी संस्था मर्या., अर्निया ठिकाना, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1084, दिनांक 03 अगस्त, 2004 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 1621, दिनांक 14 जून, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

रामेश्वर चौधरी,  
परिसमापक.

(26-E)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2013-ज्येष्ठ 10, शके 1935

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 13 फरवरी, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित है.—

( अ ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील ईसागढ़, चंदेरी (अशोकनगर), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, बल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), छतरपुर (छतरपुर), बीना, खुरई, बंडा, सागर, गढ़ाकोटा, राहतगढ़ (सागर), त्योंथर, सिरमौर, हजूर, गुढ़, रायपुरकचुलियान (रीवा), जेतहरी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), खाचरौद, महिदपुर, उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, नलखेड़ा, बड़ोद, शाजापुर, कालापपीपल (शाजापुर), बड़वानी, राजपुर, पानसेमल, पाटी (बड़वानी), खकनार (बुरहानपुर), जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा, सारंगपुर (राजगढ़), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बासौदा, नटेरन, ग्यारसपुर (विदिशा), हुजूर (भोपाल), सिवनी-मालवा, बाबई, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), डिण्डोरी (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( ब ) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील मुंगावली (अशोकनगर), तराना (उज्जैन), आगर, शाजापुर, ठीकरी, वरला (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), होशंगाबाद, इटारसी (होशंगाबाद), शाहपुरा (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( स ) 35.0 मि.मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील नेपानगर (बुरहानपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला बैतूल में फसल गन्ना की रोपाई व श्योपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, पन्ना व खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला धार में ओला गिरने से फसल गेहूँ, चना 10% से 45% व हरदा में ओला वर्षा से 10% से 20% व इन्दौर में मावडा गिरने से गेहूँ, चना में क्षति तथा उज्जैन में कहीं-कहीं फसलें प्रभावित हुई हैं.

5. **कटाई.**—जिला बुरहानपुर में फसल तुअर व हरदा में रबी फसल चना व बैतूल में तुअर, गन्ना व विदिशा में तिवड़ा, मसूर, चना व सिवनी में मसूर, मटर, लाख, चना तथा मण्डला में कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, बड़वानी, राजगढ़ में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 13 फरवरी, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप ( मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	.. .. .. .. .. ..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, तुअर, मटर, मसूर. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	.. .. ..				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन	.. .. .. .. .. .. ..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिली, मूँगमोठ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	.. .. .. ..				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर	.. .. ..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास	.. .. .. .. .. .. .. ..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुंगावली	19.0		4. (1) उड़द, सोयाबीन, गन्ना अधिक. मक्का, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	11.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	3.0				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..	..	
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	4.4		4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, आलू समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	12.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	2.0				
4. टीकमगढ़	17.0				
5. बल्देवगढ़	3.0				
6. पलेरा	4.0				
7. ओरछा	15.0				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) चना, जवा अधिक. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	4.6				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मसूर, मटर, आलू, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	1.2		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	7.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	6.3				
4. सागर	0.6				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	0.3				
8. राहतगढ़	1.0				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) ..		
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>*जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	11.0		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ, मसूर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	4.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	15.3				
6. गुढ़	8.5				
7. रायपुरकर्चुलिया	10.0				
8. मनगवां	..				
9. जवा	..				
<b>*जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोहागपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ब्यौहारी	..		(2) ..		
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	3.0		4. (1) राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना, मसूर, अधिक. राहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	2.6		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	15.6				
<b>*जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बांधवगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पाली	..		(2) ..		
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) अलसी, सरसों, चना, गेहूँ, जौ, मसूर, मटर, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
<b>*जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..		
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. सीतामऊ	..				
7. धुन्धड़का	..				
8. शामगाढ़	..				
9. संजीत	..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	..				
<b>*जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित हुई है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	1.0		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	2.0		(2) ..		
3. तराना	26.0				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	2.0				
6. बड़नगर	7.0				
7. नागदा	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	1.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. नलखेड़ा	4.0				
4. आगर	26.0				
5. बड़ौद	2.0				
6. शाजापुर	10.0				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	5.0				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी मसूर, जौ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव	.. .. .. .. .. ..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. राणापुर 5. झाबुआ	.. .. .. .. ..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भामरा 2. जोवट 3. अलीराजपुर 4. कट्टीवाड़ा 5. उदयगढ़ 6. सोण्डवा	.. .. .. .. .. ..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ओलावृष्टि से गेहूँ व चना फसलों को 10% से 45% क्षति हुई है.	3. .. 4. (1) चना अधिक, गेहूँ, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुशी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	.. .. .. .. .. .. .. ..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. मावडा गिरने से फसल गेहूँ, चना में आंशिक क्षति हुई है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महु (डॉ. अम्बेडकरनगर)	.. .. .. .. ..				
<b>जिला प. निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. सनावद 3. महेश्वर 4. सेगांव 5. करही 6. खरगोन 7. गोगावां 8. कसरावद 9. मुल्लान 10. भगवानपुरा 11. भीकनगांव 12. झिरन्या	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी:</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	3.6		4. (1) कपास, गेहूँ, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	2.3		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	4.0				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	3.6				
6. पाटी	13.0				
7. निवाली	..				
8. अंजड	23.0				
9. वरला	..				
<b>जिला पूर्ण-निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	26.2		4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	16.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	46.0				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	5.0		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, ज्वार, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	8.2		मक्का, मूँगफली, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	11.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	2.3				
5. सारंगपुर	7.5				
6. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल तिवड़ा, मसूर, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	1.0		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	5.0		राई-सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	5.0		(2) ..		
4. बासौदा	0.5				
5. नटेरन	5.0				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	1.0				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	4.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	..	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, सरसों, अलसी, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाडी	..				
8. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. गन्ने की रोपाई एवं फसल तुअर एवं गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही	3.2				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	2.0				
4. चिचोली	18.1				
5. बैतूल	0.2				
6. मुलताई	17.2				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, तुअर, मूंगमोठ अधिक. चना, मटर, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	17.0				
2. होशंगाबाद	23.8				
3. बाबई	14.0				
4. इटारसी	26.2				
5. सोहागपुर	10.0				
6. पिपरिया	12.2				
7. वनखेड़ी	6.2				
8. पचमढ़ी	9.2				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल चना की कटाई का कार्य चालू है. फसलें ओले एवं वर्षा से 10% से 20% की क्षति हुई.	3. .. 4. (1) गेहूँ (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. कुण्डम	..				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों, जौ, मटर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है :	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		जो समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. मण्डला	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. डिण्डोरी	7.2		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	17.8		मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. मोहखेड़ा	..				
11. हरई	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. मसूर, मटर, लाख, चना	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..	की कटाई का कार्य चालू	4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..	है.	मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	..		कम.		
4. बरघाट	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
7. धनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला सतना, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, रतलाम, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(271)